


# क्या कहते हैं ऑकड़े?

केन्द्रीय बजट 2017-18



CBGA

जुलाई 2017

# केन्द्रीय बजट 2017-18: वया कहते हैं ऑकड़े?

सी.बी.जी.ए.



क्या कहते हैं आँकड़े?

# विषय – सूची

क्रम सं	खण्ड	पृष्ठ संख्या
1	बजट : एक नजर	5
2	राजस्व	12
3	वित्तीय पारदर्शिता व अन्तर्राष्ट्रीय कर प्रणाली	14
4	शिक्षा	15
5	स्वास्थ्य	17
6	पेयजल व स्वच्छता	19
7	ग्रामीण विकास	21
8	कृषि	23
9	पोषण व खाद्य सुरक्षा	25
10	अक्षय ऊर्जा	26
11	महिला कल्याण	28
12	बाल कल्याण	30
13	अनुसूचित जाति कल्याण	31
14	अनुसूचित जन-जाति कल्याण	33
15	अल्पसंख्यक कल्याण	35
16	सामाजिक सुरक्षा	37
17	शहरी गरीब	39
18	विकलांग कल्याण	40

क्या कहते हैं आँकड़े?

# बजट : एक नजर

वर्ष 2017-18 का बजट अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण दौर में प्रस्तुत हुआ जब विमुद्रीकरण नवंबर 2016 में घोषित हो चुका था और कैशलैस अर्थव्यवस्था की ओर सरकार कदम बढ़ा रही थी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि कैशलैस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने से आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम आएंगे। हालाँकि दूसरी ओर आर्थिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है कि विमुद्रीकरण (नोटबंदी) से अर्थव्यवस्था व विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

इसके अतिरिक्त विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के स्पष्ट संकेत भी सामने हैं, जिनकी ओर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इशारा किया। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत के निर्यातों में आई मंदी को भी स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक मंदी के बावजूद भारत कमोबेश अपनी विकास दर को 7 प्रतिशत के स्तर पर रखने में सफल रहेगा। यह तथ्य भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों में भी साफ झलकता है। भारत में आर्थिक क्रियाकलापों के इस सकारात्मक माहौल में विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाने तथा सरकारी खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन यह सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह वित्तीय घाटे को कम करने के संकीर्ण लक्ष्य को ही प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यह सरकारी खर्च व जीडीपी के गिरते अनुपात से स्पष्ट है।

तालिका - 1: केन्द्र से राज्यों को कुल संसाधनों का वितरण (करोड़ रुपए में)

	मद	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 स.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
1	टैक्स व ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा	3,37,808	5,06,193	6,08,000	6,47,565
2	वित्त आयोग के अनुदान ●	-	84,579	99,115	1,03,101
3	स्कॉम संबंधित ट्रांसफर	-	1,95,051	2,01,363	2,12,466
4	अन्य ट्रांसफर ●●	-	43,143	44,864	48,447
5	राज्यों को ट्रांसफर	-	378	31,422	42,499
6	संघ क्षेत्रों को कुल ट्रांसफर (विधानसभा वाले क्षेत्र)	-	5,139	5,547	3,996
7	राज्यों को वित्त आयोग अनुदान व अन्य ट्रांसफर (2 से 6)	3,48,027	3,28,290	3,82,311	4,10,509
8	राज्यों व संघ क्षेत्रों को कुल ट्रांसफर (लोन सहित) (1+7)	6,85,835	8,30,613	9,90,311	10,85,075
9	चालू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद	1,24,33,749	1,36,75,331	1,50,75,429	1,68,47,455

मद	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 स.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
राज्यों का टैक्स व ड्यूटी में हिस्सा (सकल घरेलू उत्पाद/ जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में) (1/9)	2.7	3.7	4.0	4.0
अन्य ट्रांसफर (सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में) (7/9)	2.8	2.4	2.5	2.4
राज्यों को हस्तांतरित कुल वित्तीय संसाधन (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) (8/9)	5.5	6.1	6.6	6.4

नोट • : वित्त आयोग के अनुदान में शहरी व ग्रामीण स्थानीय संरथानों के लिए अनुदान, एस.डी.आर.ए के लिए सहायता अनुदान और आय में कमी पूर्ति का बाद का अनुदान सम्प्रिलित है।

• : अन्य ट्रांसफर में उत्तर पूर्व परिषद की स्कीमें, उत्तर पूर्व क्षेत्र व सिविकम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल, खायत परिषदों व संविधान के छठी अनुसूची के क्षेत्रों को अनुदान, संविधान के अन्तुच्छेद 275 (1) की स्कीमों का प्रावधान, आदिवासी क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता, विशेष सहायता, एन.डी.आर.ए. से राज्यों को सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं - अनुदान व ऋण।

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय सरकार के बजट दस्तावेजों से, एक नजर में बजट आदि दस्तावेजों से सी.डी.जी.ए. द्वारा संकलित।

इस घटते अनुपात का प्रतिकूल असर पिछले दो वर्षों में सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन पर भी पड़ा। इसकी विस्तार से चर्चा 'सामाजिक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के भाग' में की गई है। अगले भाग में राज्यों को संसाधनों के ट्रांसफर संबंधी तथ्य व आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

### राज्यों में संसाधन वितरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्यों को मिलने वाले केन्द्रीय करों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था। वर्ष 2017-18 में भी इसी आधार पर संसाधन वितरण होना है। हालांकि, इसके बावजूद केन्द्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित कुल वित्तीय संसाधन में कोई विशेष वृद्धि नजर नहीं आती है।

यदि हम केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को सकल घरेलू उत्पाद द्व्यजीडीपीऋ के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 में 2.7 प्रतिशत था व वर्ष 2015-16 में बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 में इसका संशोधित अनुमान 4.0 प्रतिशत था व इस वर्ष के बजट का अनुमान भी 4.0 प्रतिशत ही है। राज्यों को होने वाले अन्य ट्रांसफर को भी जोड़ लिया जाए तो राज्यों को होने वाले केन्द्रीय संसाधन ट्रान्सफर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वर्ष 2014-15 में 5.5 था और 2016-17 के संशोधित बजट में यह 6.6 प्रतिशत था। इस वर्ष में यह अनुमान 6.4 प्रतिशत है।

सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी था कि जिस कोष से संसाधनों का वितरण होता है, वह बढ़ता रहे। वास्तव में, हाल के वर्षों में केन्द्र के कुल उपलब्ध संसाधनों में विभिन्न उपकरों या सेस का हिस्सा बढ़ता गया - जैसे कि शिक्षा उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर आदि। इन उपकरों या सेस से प्राप्त होने वाली राशि उस कोष में नहीं जाती है जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है, अपितु यह तो केवल केन्द्रीय सरकार के लिए होती है।

इस तरह जब केन्द्र के कुल संसाधनों में सेस या उपकरों का हिस्सा बढ़ता है तो राज्यों से हिस्सेदारी करने वाली राशि का हिस्सा कम होता है। यह लोकतंत्र के सहकारी संघीय ढांचे के लिए शुभ संकेत नहीं है। कुल उपकरों (सेस व सरचार्ज) से प्राप्त राशि वर्ष 2014-15 में 75533 करोड़ रुपए थी तो इस वर्ष 2017-18 के बजट में इसकी अनुमानित राशि 169662 करोड़ रुपए है - यानि इस राशि में

पिछले चार वर्षों में 125 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्तीय संसाधनों के वितरण की ये प्रवृत्तियां इस कारण चिन्ताजनक हैं कि राज्य सरकारों को सामाजिक क्षेत्र के अधिक खर्चों की जिम्मेदारी हाल में सौंपी गई है।

### सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च में क्षेत्रीय विषमता

14 वें वित्तीय आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के बाद केन्द्रीय सरकार के बजट में सामाजिक क्षेत्रों से होने वाले आवंटन को राज्य सरकारों के बजट से मिला कर देखना अब और जरूरी हो गया है। सीबीजीए द्वारा 10 राज्यों के बजट के विश्लेषण से इस दौर में इन राज्यों के बजट की प्राथमिकताओं के विषय में महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं।

सामाजिक क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व स्वच्छता, पोषण व खाद्य सुरक्षा, महिला व बाल विकास, शहरी निर्धन वर्ग) ग्रामीण विकास, कृषि व संबंधित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च में विभिन्न राज्यों में काफी भिन्नता पाई गई है। जहां सबसे कम प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च वाले राज्यों बिहार व उत्तर प्रदेश में यह खर्च (2016-17 के बजट अनुमान) क्रमशः 6287 व 6436 रुपए पाया गया वहीं ओडिशा व छत्तीसगढ़ में यह क्रमशः 12921 व 14223 रुपए पाया गया।

इन राज्यों में यह भी देखा गया कि राजकोषीय घाटे को कम दिखाने की प्रवृत्ति को अधिक महत्व मिलता है, चाहे यह सामाजिक क्षेत्र पर खर्च कम करने की कीमत पर ही क्यों न हों। इन परिस्थितियों में यह उम्मीद थी कि केन्द्रीय बजट 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र के बजट में वृद्धि कर राज्यों को सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

**तालिका 2: राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय-सामाजिक क्षेत्रों, ग्रामीण विकास, कृषि व उत्ससे जुड़े क्षेत्रों पर (रुपए में)**

राज्य	वार्षिक 2014.15	स.अनुमान 2015.16	बजट अनुमान 2016.17
बिहार	4,168	6,354	6,287
उत्तर प्रदेश	4,471	5,788	6,436
झारखण्ड	7,680	8,085	9,755
मध्य प्रदेश	6,512	8,591	9,977
राजस्थान	8,145	9,186	10,263
महाराष्ट्र	8,934	10,091	10,476
आसाम	6,644	11,370	11,184
तमिल नाडु	9,958	11,302	12,330
ओडिशा	8,935	11,524	12,921
छत्तीसगढ़	9,436	14,057	14,223

नोट :

- जनसंख्या के पूर्व अनुमान राष्ट्रीय आयोग 2006 द्वारा गठित जनसंख्या पूर्व अनुमान के टैक्नीकल ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित हैं।
- सामाजिक क्षेत्र जैसे बजट दस्तावेजों में परिभाषित हैं। ग्रामीण विकास, खाद्य भंडारण, पंचायती राज, कृषि व संबंधित क्षेत्र (पशुपालन, मत्स्य सिंचाइ व जल संसाधन, सहकारिता, खाद्य व सिविल आपूर्ति)।

स्रोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित।

### केन्द्रीय आवंटनों में सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताएं

पिछले दो वर्षों के बजट में केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों के बजट में इस आधार पर बहुत कटौती की कि वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकारों को अधिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

क्या कहते हैं आँकड़े?

वर्ष 2017-18 के बजट में भी सोशल सैक्टर के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में आवंटन में मामूली वृद्धि की गई है या आवंटन को लगभग यथावत् ही रखा गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी सामाजिक क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट का आवंटन लगभग स्थिर ही रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (22500 करोड़ रुपए) की अपेक्षा मात्र 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में 3700 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी जबकि 2017-18 के बजट अनुमान में मामूली की वृद्धि कर इसे 3830 करोड़ रुपए किया गया है। मिड-डे मील स्कीम के लिए वर्ष 2016-17 के बजट का संशोधित अनुमान 9700 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान नगण्य सी वृद्धि कर 10000 करोड़ रुपए रखा गया है।

इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए आवंटन को 6000 से बढ़ाकर 6050 करोड़ रुपए किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आवंटन 19000 करोड़ रुपए पर स्थिर है। मनरेगा पर आवंटन का पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान 47499 करोड़ रुपए था, जबकि इस वर्ष का बजट अनुमान 48000 करोड़ रुपए है।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन दी जाती है का बजट 9500 करोड़ रुपए पर स्थिर है।

शहरी विकास के अमृत मिशन के लिए पिछले वर्ष का संशोधित अनुमान 4883 करोड़ रुपए था जबकि इस वर्ष का बजट अनुमान 5000 करोड़ रुपए है।

इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बजट में स्थिरता या नगण्य वृद्धि का उनके क्रियान्वयन पर इस वर्ष प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है।

दूसरी ओर, कुछ कार्यक्रमों में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पिछले वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि भी दर्ज की गई है। प्रधान मंत्री आवास योजना पर आवंटन को 20936 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 29043 करोड़ रुपए किया गया है जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर खर्च की राशि को 5189 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7377 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

इसी प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन का बजट 12800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16248 करोड़ रुपए किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर बजट को 22598 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27131 करोड़ रुपए तक किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का बजट भी 1953 करोड़ रुपए से 3975 करोड़ रुपए बढ़ा है, जो दुगुनी से भी अधिक की वृद्धि है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन का बजट 175 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया गया है। मातृत्व लाभ कार्यक्रम (मैटरनिटी बेनेफिट प्रोग्राम) का बजट 634 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2700 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

हालांकि, मातृत्व लाभ परियोजना में सभी लाभार्थियों तक सहायता पंहुचाने के आकलन को ध्यान में रखें तो बढ़ा हुआ यह आवंटन भी कहीं कम पड़ता है। ग्रामीण स्वच्छता का बजट तो बढ़ा है, पर शहरी स्वच्छता की उपेक्षा हुई है।

## तालिका 3 : मंत्रालय व बजट (करोड़ रुपए में)

क्रम.	मंत्रालय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 वास्तविक अनुमान	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 संशोधित अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
1	संस्कृति	1,388	1,989	2,064	2,007	2,500	2,489	2,738
2	पेयजल व स्वच्छता	12,969	11,941	12,091	11,081	14,010	16,512	20,011
3	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (आयुष सहित)	27,885	30,135	32,154	35,190	39,533	40,995	50,281
4	आवास व शहरी निर्धनता उन्मूलन	933	1,084	2,728	1,761	5,411	5,285	6,406
5	मानव संसाधन विकास	66,055	71,322	68,875	67,239	72,394	73,599	79,686
6	श्रम व रोजगार	3,645	4,233	4,138	4,642	6,243	5,174	7,188
7	अल्पसंख्यकों के मामले	2174	3,027	3089	3655	3,827	3,827	4,195
8	सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण	4,940	5,515	5381	5753	6,566	6,569	6,908
9	आदिवासी मामले	3,073	3,839	3852	4480	4,827	4,827	5,329
10	शहरी विकास	8,465	9,363	13254	18419	24,523	32,550	34,212
11	महिला व बाल विकास	17,036	18,037	18,539	17249	17,408	17,640	22,095
12	युवा मामले व खेल	871	1,123	1,121	1,423	1,592	1,608	1,943
13	विकलांगों का सशक्तीकरण	-	-	403	555	784	784	855
14	कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण	29,654	31,479	31,917	22,092	44,485	48,073	51,026
15	पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन	1,753	1,890	1,599	1,521	2,250	2,328	2,675
16	ग्रामीण विकास	53,181	61,162	69,817	78,945	87,765	97,760	1,07,758
17	उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, (खाद्य सबसिडी सहित)	86,677	93,317	1,18,323	1,40,810	1,41,392	1,43,988	1,54,232
	1 से 17 मंत्रालयों का कुल खर्च	3,20,698	34,9457	3,89,346	4,16,822	4,75,509	5,04,007	5,57,540
18	सङ्कर परिवहन व राजपथ मंत्रालय	2,2537	28,400	33,048	46,913	57,976	52,447	64,900
19	रक्षा मंत्रालय ●●*	23,0642	2,54,133	2,85,005	2,93,920	3,40,922	3,45,106	3,59,854
	1 से 19 मंत्रालयों का कुल खर्च	5,73,877	6,31,990	7,07,400	7,57,654	8,74,407	9,01,560	9,82,294
	केन्द्रीय सरकार का कुल खर्च	14,10,372	15,59,447	16,63,673	17,90,783	19,78,060	20,14,407	21,46,735
	1 से 17 मंत्रालयों का खर्च केन्द्र सरकार के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में	22.7	22.4	23.4	23.3	24.0	25.0	26.0

क्रम.	मंत्रालय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 वास्तविक अनुमान	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 संशोधित अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
	1 से 19 मंत्रालयों का खर्च केन्द्र सरकार के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में	40.7	40.5	42.5	42.3	44.2	44.8	45.8
	जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य (2011-12)	99,46,636	1,12,36,635	1,24,33,749	1,36,75,331	1,50,75,429	1,50,75,429	1,68,47,455
	1 से 17 मंत्रालयों का खर्च कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	3.2	3.1	3.1	3.0	3.2	3.3	3.3
	1 से 19 मंत्रालयों का खर्च कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	5.8	5.6	5.7	5.5	5.8	6.0	5.8

नोट : ●● इसमें रक्षा पेशन तथा रक्षा सेवाओं का व्यय सम्मिलित है।

स्रोत - सी.वी.जी.ए. द्वारा संकलित (संघ बजट 2017-18, व्यय बजट)

### विभिन्न क्षेत्रों के खर्च में बदलाव

विभिन्न क्षेत्रों के खर्च में बदलावों पर भी वर्ष 2017-18 के बजट ने आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन्हें तालिका 4 में दिखाया गया है। पहली नजर में तो कुछ सामाजिक क्षेत्रों जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य में वर्ष 2016-17 (संशोधित अनुमान) की तुलना में वर्ष 2017-18 में महत्वपूर्ण वृद्धि नजर आती है। यदि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में देखा जाए तो आवंटनों में कोई दर्शनीय वृद्धि नजर नहीं आती। निम्नांकित तालिका के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि आवंटनों में मौद्रिक रूप में वृद्धि तो हुई है, लेकिन घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में केन्द्र सरकार का खर्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी स्थिर रहा है। केन्द्र सरकार बजट जो वर्ष 2017-18 (सं.अ.) में जी.डी.पी. का 13.4 प्रतिशत था, वास्तव में कम होकर वित्त वर्ष 2017-18 (ब.अ.) में 12.7 प्रतिशत रह गया।

तालिका - 4: 2016-17 संशोधित अनुमानों व 2017-18 बजट अनुमानों में बदलावों की मुख्य बातें (करोड़ रुपए में)

क्रम	मद	2016.17 स.अनुमान	2017.18 ब.अनुमान	बदलाव	% वृद्धि	जीडीपी द्वायर का प्रतिशत	
						2016-17 स.अनुमान	2017-18 ब.अनुमान
1	ब्याज भुगतान	4,83,069	5,23,078	(+)40,009	8.3	3.2	3.1
2	पूंजी खर्च (रक्षा के बिना)	1,62,570	1,83,280	(+)20,710	12.7	1.1	1.1
3	रक्षा	2,48,005	2,62,390	(+)14,385	5.8	1.6	1.6
4	राज्यों को ऋण व अनुदान	2,93,172	3,07,553	(+)14,381	4.9	1.9	1.8
5	खाद्य सबसिडी	1,35,173	1,45,339	(+)10,166	7.5	0.9	0.9
6	शिक्षा	32,229	36,884	(+)4,655	14.4	0.2	0.2
7	पुलिस	62,407	65,576	(+)3,169	5.1	0.4	0.4
8	पेशन	1,28,166	1,31,201	(+)3,035	2.4	0.9	0.8

क्रम	मद	2016.17 स.अनुमान	2017.18 ब.अनुमान	बदलाव	% वृद्धि	जीडीपी द्वायर का प्रतिशत	
						2016-17 स.अनुमान	2017-18 ब.अनुमान
9	स्वारथ्य व परिवार कल्याण	14,478	16,836	(+)2,358	16.3	0.1	0.1
10	अन्य सभिसडी	1,25,312	1,26,937	(+)1,625	1.3	0.8	0.8
11	संघीय क्षेत्रों को ऋण व अनुदान	5,547	3,996	(-)1,551	-28.0	0.0	0.0
12	अन्य	3,24,279	3,43,665	(+)19,386	6.0	2.2	2.0
	कुल खर्च	20,14,407	21,46,735	(+)1,32,328	6.6	13.4	12.7
	चालू बाजार कीमतों पर स.घ.उ.	1,50,75,429	1,68,47,455	17,72,026	11.75	.	.

स्रोत : विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित

नोट : स.घ.उ. - सकल घरेलू उत्पाद

### बजट प्रक्रियाओं में बदलाव

इस संदर्भ में इस बजट में तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस वर्ष बजट को 1 फरवरी को पेश किया गया, जबकि पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था। इस बदलाव का कारण सरकार ने यह बताया है कि इससे विभिन्न मंत्रलय जरूरी धन का आवंटन मानसून आरंभ होने से पहले कर सकेंगे। मानसूनी वर्षा से कई निर्माण कार्य रुके रहते हैं, अतः इससे काफी पहले स्वीकृत धनराशि प्राप्त हो जाना उपयोगी होगा। पर यह सुधार अपने आप में पर्याप्त नहीं है व कई अन्य सुधार चाहिए जैसे कि विकेंद्रित नियोजन में सुधार। राज्यों के वित्त विभागों को चाहिए कि विभिन्न विभागों व स्थानीय स्वशासी संरथानों को समय पर स्वीकृत धनराशियां उपलब्ध करवाएं। जिले स्तर पर भी बेहतर पारदर्शिता व नियोजन की जरूरत है।

इस वर्ष के बजट में दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि योजना व गैर-योजना खर्च के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। पहले वाले वर्गीकरण से गैर-योजना खर्चों जैसे रख-रखाव आदि पर कम ध्यान दिया जा रहा था जो नियमित कर्मचारियों की कमी के रूप में अभिव्यक्त होता था। इस बदलाव से अब पहले के बजटों के आंकड़ों से तुलना करने में कठिनाईयां उत्पन्न होगी।

इसके अतिरिक्त, सभी मंत्रलय व विभागों का समग्रीकृत परिणाम बजट भी प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है।

### बजट के फोकस में बदलाव

इस वर्ष का बजट 10 विशिष्ट स्तंभों पर आधारित है। पिछले वर्ष 9 विषय आधारभूत बताए गए थे। इस विषय में सोच बहुत स्पष्ट व स्थिर नहीं है।



# राजस्व

सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करने और उससे जुड़ी लोगों की कठिनाईयों के बाद प्रायः यह माना जा रहा था कि वर्ष 2017-18 के बजट में टैक्स-रेट में, टैक्स-सीमा में व टैक्स संबंधी छूट में बड़े बदलाव होंगे। बजट में वास्तव में कर-संबंधी कुछ बदलाव नजर आते भी हैं, विशेषकर प्रत्यक्ष करो के संदर्भ में। ऐसा एक प्रावधान 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की वार्षिक टैक्स योग्य आय सीमा के व्यक्तियों के लिए है जिनका आयकर 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। व्यक्तिगत आयकर के दूसरे सिरे पर एक स्वागत योग्य कदम यह उठाया गया है कि जिनकी आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है उन पर 10 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया गया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों के टैक्स पर 15 प्रतिशत का सरचार्ज पहले की तरह जारी रहेगा। इससे अधिक आयकर उगाही में मदद मिलेगी और सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च में वृद्धि कर सकती है।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (जिनका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए तक सीमित है) पर कारपोरेट आय कर को 30 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। चूंकि यह प्रावधान केवल मुनाफे वाले उद्यमों के लिए है, ऐसे अनेक उद्यमों को इसका लाभ नहीं मिलेगा जो कारोबार से मात्र अपना खर्च ही निकाल पाते हैं।

कुछ कर-दरों में कमी के बावजूद सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2017-18 में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में सकल केन्द्रीय कर में 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस वृद्धि में से अधिकतर वृद्धि प्रत्यक्ष करों से होनी है, व प्रत्यक्ष करों में भी सबसे अधिक वृद्धि व्यक्तिगत आयकर से होनी है।

इस तरह, केन्द्र सरकार का बजट राजस्व, जी.डी.पी. के रूप में, बढ़कर वर्ष 2017-18 में 11.3 प्रतिशत हो जाएगा। साथ ही प्रत्यक्ष करों का सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात भी पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक हो जाएगा। (देखें तालिका 5) यदि हम केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा एकत्र किए करों को देखें तो दो-तिहाई कर इस समय भी अप्रत्यक्ष कर हैं। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और इनका भार सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों को वहन करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर निगमों के लाभ और अमीर व्यक्तियों की आय पर लगाए जाते हैं और गरीब व्यक्तियों पर इसका भार नहीं पड़ता है।

## तालिका - 5

### सकल केन्द्रीय कर का सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत

वर्ष	सकल कर का सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत	प्रत्यक्ष कर का सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत	अप्रत्यक्ष कर का सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत
2012-13 (वा.)	10.4	5.6	4.8
2013-14 (वा.)	10.1	5.7	4.4
2014-15 (वा.)	10.0	5.6	4.4
2015-16 (वा.)	10.6	5.4	5.2
2016-17 (अनु.)	10.8	5.6	5.2
2016-17 (स.अनु.)	11.3	5.6	5.7
2017-18 (अनु.)	11.3	5.8	5.5

नोट : (1) जिन प्रत्यक्ष करों की मात्रा बहुत कम है (जैसे कि इस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स) उन्हें नहीं जोड़ा गया है।

(2) केन्द्र शासित क्षेत्रों के टैक्स यहां नहीं जोड़े गए हैं।

(3) वा. - वास्तविक खर्च, अनु. - बजट अनुमान, स.अनु. - संशोधित अनुमान

स्रोत - कई वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से सीधीजीए द्वारा संकलित आंकड़े

हालांकि महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वर्ष 2017-18 में कर में संभावित वृद्धि के जो अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं वे वास्तव में प्राप्त हो सकेंगे। सरकार ने अपनी आय संबंधी जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे चालू वर्ष में अपेक्षाकृत कम जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि केन्द्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण सामान्य तिथि से एक महीने पहले किया गया।

प्रत्यक्ष करों में हुई लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि का कुछ हिस्सा विभिन्न नोटों के माध्यम से एडवांस टैक्स देने के कारण हुआ। इस आधार पर पूरे वर्ष में एकत्र होने वाले टैक्स का अनुमान लगाना भ्रामक होगा। गैर-कर आय जैसे विभिन्न पूंजी प्राप्तियों, विनिवेश प्राप्तियों के अनुमान भी वास्तविक स्थिति से अलग सिद्ध हो सकते हैं (विशेषकर यदि हम यह ध्यान में रखें कि वर्ष 2016-17 में स्ट्रैटिजिक विनिवेश का संशोधित अनुमान इस वर्ष के बजट अनुमान से कहीं कम था)।

विभिन्न मदों पर छूट के कारण वसूल न किए गए कर राजस्व वर्ष 2016-17 में 3.18 लाख करोड़ रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत था। विशेषकर हम यह ध्यान में रखें कि वर्ष 2017-18 का कुल राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत का है, इतनी अधिक सरकारी आय को छूट आदि के माध्यम से छोड़ना उचित नहीं है। टैक्स के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों को अधिक प्रोत्साहन देना कई बार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होता है क्योंकि हर तरह की टैक्स छूट या प्रोत्साहन से आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। यदि कुछ कर-प्रोत्साहनों, विशेषकर कारपोरेट क्षेत्र के कर प्रोत्साहनों व छूटों को अधिक तर्कसंगत बनाया जाए तो इससे सरकार की आय को काफी बढ़ाया जा सकता है व जरूरी सार्वजनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाया जा सकता है।



# वित्तीय पारदर्शिता व अन्तर्राष्ट्रीय कर प्रणाली

इस केन्द्रीय बजट में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा धन एकत्र करने में पारदर्शिता भरतने के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में केन्द्रीय बजट ने चुनाव आयोग की उस संस्तुति को अपनाने की सलाह दी जिसमें कहा गया है कि कोई राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से अधिकतम 2,000 रुपए का नकद चंदा प्राप्त कर सकता है। पहले इस नकदी चंदे की सीमा 20,000 रुपए रखी गई थी। यह संस्तुति स्वीकृत हो गई तो भी 2,000 रुपए से अधिक का डोनेशन चेक या डिजीटल व्यवस्था से प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल स्वतंत्र रहेंगे।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कदम उठाने से राजनीतिक दलों द्वारा धन प्राप्त करने में पारदर्शिता बढ़ेगी जैसे कि 2,000 रुपए से ऊपर की सभी डोनेशन की जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाना व सभी दाताओं के नामों को सार्वजनिक करना।

केन्द्रीय बजट ने विशेष जाँच टीम की उस संस्तुति को भी स्वीकार किया है जिसमें कहा गया है कि नकदी लेन-देन में 3 लाख रुपए की सीमा लगाई जाए। बाद में, इस वित्त विधेयक के पास होने से पहले इस सीमा को घटा कर 2 लाख रुपए कर दिया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक नकदी स्वीकार करता है तो यह अवैध माना जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस प्रस्ताव का वार्तविक क्रियान्वयन कितना असरदार हो पाएगा।

वर्ष 2017-18 के बजट में आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जल्द करने के लिए एक नए कानून की घोषणा हुई है। साथ में अवैध डिपाजिट स्कीमों के विरुद्ध असरदार कार्यवाही के लिए भी एक नए कानून की घोषणा हुई है। इन दो घोषणाओं का स्वागत है, पर इन नए कानूनों को बनाने के साथ ऐसे कानूनों के क्रियान्वयन में सुधार करना बहुत जरूरी है।

बढ़ते हुए भूमंडलीकरण व शेष विश्व के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते संबंधों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय करों का महत्व बढ़ता जा रहा है। घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में विसंगतियों का प्रायः बहुराष्ट्रीय कंपनियां फायदा उठाती हैं जिससे वे अपने हिस्से के न्यायसंगत करों से बच सकें। हाल के समय में आयकर विभाग ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं जैसे कि डबल टैक्स अवायडेंस एग्रीमेंट का संशोधन व जनरल एंटी-अवायडेंस एग्रीमेंट का क्रियान्वयन (हालांकि इनका जिक्र बजट में नहीं किया गया)। दूसरी ओर इस दिशा में एक अन्य प्रयास अनेक विकसित देशों (जी-20 के सदस्य देशों) व ओ.ई.सी.डी. के सदस्य देशों की ओर से हो रहा है जिसे संक्षेप में बी.ई.पी.एस. (बेस इरोसियन व प्राफिट शिपिटिंग) कहा जाता है। इस संदर्भ में भारत के ट्रांसफर प्राईसिंग संबंधी प्रावधानों को ओ.ई.सी.डी. के ट्रांसफर प्राईसिंग संबंधी निर्देशों व अन्तर्राष्ट्रीय बेहतर प्रचलनों के अनुकूल बनाया जाए व व्याज भुगतान संबंधी अनुकूल सुधार किए जाएं।

यहां यह ध्यान में रखना होगा कि बी.ई.पी.एस. प्रोजेक्ट ओ.ई.सी.डी. देशों द्वारा तैयार किया गया है व उनके निर्देशन में चल रहा है। यह विकासशील देशों की कर वसूली तथा निगम कर-चोरी से संबंधित समस्याओं और सरोकारों की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है।



# शिक्षा

वर्ष 2016-17 के बजट में शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार सृजन को भारत में बदलाव का एक प्रमुख स्तंभ घोषित किया गया था। इस वर्ष शिक्षा, कुशलता विकास व रोजगार सृजन को मात्र युवाओं के शीर्षक के अन्तर्गत बजट में रखा गया है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए समग्र रूप में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हैं। आश्चर्य है कि बजट भाषण में शिक्षा के अधिकार व स्कूली शिक्षा के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा नहीं है जबकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में कमी व इसे सुधारने की जरूरत के बारे में हाल में काफी चर्चा हुई है।

वर्ष 2017-18 (बजट अनुमान) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 79686 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें से 58 प्रतिशत स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए हैं व 42 प्रतिशत उच्च शिक्षा विभाग के लिए हैं। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इस क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। हालांकि आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में यह 0.48 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में यह 0.47 प्रतिशत हो गया है। यदि शिक्षा के आवंटन को पूरे बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो दोनों वर्षों के बजट अनुमानों में यह 3.7 प्रतिशत पर रिंथर है।

शिक्षा के अधिकार का वाहक कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान है। इसके लिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 23500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से 62 प्रतिशत की व्यवस्था शिक्षा उपकर (प्रारंभिक शिक्षा कोष) से की जाएगी जबकि 32 प्रतिशत की व्यवस्था सकल बजट सपोर्ट से की जाएगी व छः प्रतिशत की व्यवस्था विदेशी सहायता की परियोजनाओं से की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की अपेक्षा इस वर्ष 1226 करोड़ रुपए अधिक उपलब्ध हुए हैं। यह काफी हद तक इस कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान के बजट में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए शिक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन को 4.9 प्रतिशत (वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान) से बढ़ाकर 7.9 प्रतिशत (वर्ष 2017-18 का बजट अनुमान) कर दिया है। जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति ने संस्तुति की भी थी। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यकता व प्रतिभा छात्रवृत्ति स्कीम का आवंटन वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) में 35 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2018 के बजट अनुमान में 282 करोड़ रुपए कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय स्कीम का बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा सात गुणा बढ़ा दिया गया है 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का बजट 100 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 200 करोड़ कर दिया गया है। पर यह ध्यान में रखते हुए कि इस कार्यक्रम को 61 अतिरिक्त जिलों में आरंभ किया गया है, संभवतः यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है।

मदरसों व अल्पसंख्यकों की शिक्षा स्कीमों के लिए बजट 120 करोड़ पर रिंथर रखा गया है। यह मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत है।

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के बजट में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्ति का बजट वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) में 550 करोड़ रखा गया था। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में मात्र 50 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया है।

शिक्षा में गुणवत्ता-सुधार की बात करें तो इसके लिए लर्निंग से जुड़े संकेतकों तथा मापों की बात बजट में की गई है। बजट में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक इन्नोवेशन कोष स्थापित करने की घोषणा हुई है जिससे सब तक शिक्षा पहुंचाने, शिक्षा में लिंग आधारित समता स्थापित करने और गुणवत्ता सुधार के कुछ अन्य पक्षों में रथानीय इन्नोवेशन को प्रोत्साहित करने की बात पर जोर दिया गया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवंटन को 480 करोड़ रुपए पर स्थिर रखा गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट बढ़ा तो है पर बहुत कम - 3,700 करोड़ रुपए से 3,830 करोड़ रुपए जो कि मात्र 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखलाता है।

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 33,330 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की अपेक्षा 15.6 प्रतिशत अधिक हैं। आवंटन में इस वृद्धि का आधार यह है कि सामान्य शिक्षा की अपेक्षा तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया है। आई.आई.टी के आवंटन में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की अपेक्षा 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए बजट पिछले वर्ष के 13,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रखा गया है। इसका बजट राजकीय उच्च शिक्षा संस्थानों की स्ट्रेटिजिक फंडिंग के लिए होता है।

देश में शिक्षा पर कुल व्यय में केन्द्र सरकार के बजट खर्च का हिस्सा राज्यों के शिक्षा पर कुल बजट खर्च से कम है। केन्द्रीय सरकार के शिक्षा पर खर्च में कमी की वजह से राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पर इस समय शिक्षा की स्थिति को देखते हुए व इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की असमानता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के बजट में मामूली वृद्धि से शिक्षा में पर्याप्त निवेश नहीं हो सकेगा व गुणवत्ता में सुधार भी नहीं हो सकेगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को कहीं अधिक बढ़ाना चाहिए और केन्द्र सरकार को शिक्षा पर ज्यादा खर्च करना चाहिए।



# स्वास्थ्य

इस वर्ष पहले के कुछ वर्षों की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र में (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय व आयुष मंत्रालय) बजट का आवंटन अधिक बढ़ा है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान 39532.5 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष का आवंटन 50281.1 करोड़ रुपए है यानि 27 प्रतिशत की वृद्धि।

## तालिका-6

### स्वास्थ्य क्षेत्र - विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का आवंटन (करोड़ रुपए में)

मंत्रालय/विभाग	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 बजटअनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजटअनुमान
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग (एड्स नियंत्रण विभाग सहित)	26,449.0 (82%)	28,618.4 (82%)	30,626.4 (83%)	33,121.4 (107%)	37,061.5	38,343.3	47,352.5
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	720.0	874.1	910.8	992.8	1,144.8	1,344.8	1,500.0
कुल (1-2)	27,169.0	29,492.5	31,537.2	34,114.2	38,206.3	39,688.1	48,852.5
आयुष मंत्रालय	715.0	642.4	616.8	1,075.3	1,326.2	1,307.4	1,428.6

नोट : कोष्टक में दिए गए आंकड़े वास्तविक खर्च को बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं।

स्रोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित।

वास्तविक - वास्तविक खर्च, सं.अनुमान - संशोधित अनुमान

यदि केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रखा जाए तो वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बजट अनुमानों के बीच मामूली सी वृद्धि हुई - पहले यह प्रतिशत 0.26 था तो अगले वर्ष यह बढ़कर 0.30 प्रतिशत हो गया। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारूप (2015) एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों में केन्द्र तथा राज्यों के कुल स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाने की बात की गई है। वास्तव में, स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च स.घ.उ. के 1.3 प्रतिशत के करीब है जो लक्ष्य से आधा है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक केन्द्रीय स्कीम है जो ए.आई.आई.एम.एस. जैसे और अधिक संस्थानों को स्थापित करने से जुड़ी है। यदि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना इस वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान से करें तो इसका बजट दो गुणा से भी अधिक बढ़ गया है। गुजरात व झारखंड में दो एम्स आरंभ करने की घोषणा भी हुई है।

निःशुल्क जेनेरिक दवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। सभी लोगों को, विशेषकर गरीब वर्ग को उचित कीमत पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2008 में जन औषधि योजना लागू की गई थी। इस स्कीम के लिए आवंटन वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान की तुलना में दो गुणा से भी अधिक बढ़ गया है। जन औषधि स्कीम को अब प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का नाम दिया गया है। वर्ष 2016-17 के बजट में 3000 जन औषधि स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया था पर अभी तक मात्र ऐसे 683 स्टोर ही खोले जा सके हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हुए कुल आवंटन का 50 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मिलता है। इस राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत दो उप-मिशन हैं - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के आवंटन में वित्तीय वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) की अपेक्षा

3000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। दूसरी ओर इसी दौरान राष्ट्रीय शहरी स्वारथ्य मिशन के बजट को 950 करोड़ रुपए से कम कर 752 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वारथ्य मिशन के अन्तर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है प्रजनन व बाल स्वारथ्य। मातृ व बाल स्वारथ्य सुधार का यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। इसे संक्षेप में आर.सी.एच. कहा जाता है। आर.सी.एच. फ्लैक्सी पूल (सामान्य टीकाकरण, पल्स पोलियो, आदि) के लिए बजट का आवंटन वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 7775 करोड़ रुपए की अपेक्षा 2017-18 में कम करके 5966 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

स्वारथ्य क्षेत्र में एक बड़ी कार्य-योजना की घोषणा हुई है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017 तक काला-आजार व फिलेरियोसिस से देश को मुक्त करना है। कुष्ट रोग से 2018 में देश को मुक्त करना है व तपेदिक से 2025 में देश को मुक्त करना है। इसकी कार्य योजना भी घोषित हुई है कि शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2014 में 39 से कम करके वर्ष 2019 में 28 तक किया जाए व मातृ मृत्यु दर को वर्ष 2011-13 के स्तर 167 से कम कर वर्ष 2018-20 में 100 तक लाया जाए।

राष्ट्रीय स्वारथ्य कार्यक्रम के कुछ घटकों को पिछले वर्ष से कहीं अधिक आवंटन भी मिला है। 'स्वारथ्य व्यवस्था मजबूत करने के ग्रामीण कार्यक्रम' व 'स्वारथ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन' के कार्यक्रम के आवंटनों में वृद्धि हुई है। इनमें से पहले कार्यक्रम के लिए आवंटन 5,226 करोड़ से बढ़ाकर 8,383 करोड़ रुपए किया गया है। दूसरे कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान बढ़ने की मुख्य वजह है कि जिला अस्पतालों में सुधार के लिए अधिक धन उपलब्ध हुआ है - इनके लिए बजट अनुमान को 445 करोड़ से बढ़ा कर 3,300 करोड़ रुपए किया गया है।

स्वारथ्य क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाना, खासकर मानवीय संसाधनों व ढांचागत सुविधाओं के लिए खर्च को बढ़ाना एक स्वागतयोग्य कदम है। इन्हें और मजबूत करना चाहिए व बढ़ाना चाहिए। पर आर.सी.एच. (प्रजनन व बाल स्वारथ्य) व जेनेटिक दवाओं की उपलब्धि के लिए आवंटन को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। विभिन्न कमियों को दूर कर सबके लिए स्वारथ्य के उद्देश्य को प्राप्त करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।



# पेयजल व स्वच्छता

ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता के लिए बजट का आवंटन वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) में 14,010 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और यह बढ़कर 20,011 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। ग्रामीण स्वच्छता के लिए अवश्य महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है पर ग्रामीण पेयजल का आवंटन तो 6,050 करोड़ रुपए पर ही स्थिर है। इसके अंतर्गत अगले चार वर्षों में 28,000 आर्सनिक व फ्लोराईड प्रभावित गांवों व पुरवां में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण व आहरी दोनों मिलाकर) के लिए पिछले वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान में 12,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी जबकि इस वर्ष 16,248 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। इस वर्ष के बजट अनुमान में ग्रामीण मिशन के लिए 13,948 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जबकि आहरी मिशन के लिए 2,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

अटल पुनरुत्थान एवं आहरी रूपांतरण मिशन (संक्षेप में अमृत) के लिए पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में 4883 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी जबकि इस वर्ष के बजट अनुमान में 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

तालिका 7  
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय व शहरी विकास मंत्रालय के अधीन  
स्कीमों हेतु आवंटन (करोड़ रुपए)

योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
राज्यीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	10,490	9,691	9,242.3	4,369.6	5,000	6,000	6,050
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ नर्मल भारत अभियान	2,474	2,244	2,841	6,703	9,000	10,500	13,948
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	.	.	860	766	2,300	2,300	2,300

ओत - विभिन्न केन्द्रीय बजट दस्तावेज से सीबीजीए द्वारा संकलित

जैसा कि तालिका 3 में दिखाया गया है, वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के आरंभ होने के बाद सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए वित्तीय संसाधन आवंटन बढ़ाया गया है। सार्वजनिक फंड उपलब्ध के अतिरिक्त निजी क्षेत्र ने भी पेयजल, स्वच्छता व हाईजीन (वाश) के लिए धन उपलब्ध करवाया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत स्वच्छ भारत कोष में कारपोरेट सहयोग के वायदों के बावजूद अभी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

नवंबर 2015 से सरकार ने 0.5 प्रतिशत का स्वच्छ भारत का सेस या उपकर भी लगाया है। वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत उप कर के रूप में 3902 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। पेयजल व स्वच्छता राज्य विषय हैं, स्वच्छ भारत उपकर केन्द्रीय सरकार के दायरे में है। अतः यह देखना है कि इसे कैसे खर्च किया जाता है। उपकर द्वारा एकत्र राशि से स्वच्छता के लिए कारपस तो बन ही गया है जिसके उपयोग पर विचार करना है।

पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छता पर अधिक जोर दिए जाने के बावजूद राज्यों में पेयजल व स्वच्छता क्षेत्रों की नियोजन व बजट संबंधी प्रक्रियाओं में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। पेयजल व स्वच्छता की सुविधाओं में कमी से पुरुषों व लड़कों की अपेक्षा महिलाओं व लड़कियों ज्यादा प्रभावित होती है। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी शौचालयों की व्यवस्था कर महिलाओं की निजता व गरिमा को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इस कदम का स्वागत होना चाहिए। इसी तरह, वाश कार्यक्रम के लैंगिक पक्ष के महत्व को स्वीकृति मिली है, पर अभी इस दिशा में और प्रयास जरूरी हैं। पेयजल व स्वच्छता के कार्यक्रमों के लिए लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बजट की प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है। लिंग के आधार पर आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण महिलाओं व लड़कियों पर हुए खर्च का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। इन कार्यक्रमों की लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए और इसे जेंडर बजट दस्तावेज में समुचित स्थान देना चाहिए।



# ग्रामीण विकास

वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 83 करोड़ लोग रहते हैं। वे कुल जनसंख्या का 69 प्रतिशत है। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय भी अनेक कार्यक्रमों व स्कीमों के लिए धन उपलब्ध करवाता है व इनमें उसकी मुख्य भूमिका रहती है। इस मंत्रालय के आवंटनों का अधिकतर हिस्सा जिन मुख्य कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है वे हैं - एमजीनरेगा, आजीविका या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (पहले इंदिरा आवास योजना) व प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना।

ग्रामीण विकास विभाग के लिए आवंटित बजट राशि में लगातार बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2017-18 के बजट में ग्रामीण विकास का हिस्सा लगभग पाँच प्रतिशत है। ग्रामीण विकास को जो महत्व दिया गया है वह इसके बढ़े हुए आवंटन व कुल बजट में इसके बढ़े हुए हिस्से से अभिव्यक्त होता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के जो आवंटन संबंधी लक्ष्य रखे गए थे वे पूरे नहीं हुए। दूसरी ओर, इस पर लक्ष्य से ज्यादा आवंटन किया गया और आवास योजना पर तकरीबन लक्ष्य के अनुरूप ही आवंटन है।

## तालिका - 8

12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च व वास्तविक खर्च (ग्रामीण विकास) (करोड़ रुपए)

योजनाएं	5 वर्षों के लिए प्रस्तावित खर्च (करोड़)	माचमदकपजनतम (रेण बतवतम)					खर्च प्रतिशत %	2017-18 अनुमान
		2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 सं.अनुमान			
एमजी नरेगा	1,65,059	30,273	32,993	32,969	37,341	47,499	109.7	48,000
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	29,006	2,195	2,022	1,413	2,514	3,000	38	4,500
प्रधानमंत्री आवास योजना/इंदिरा आवास योजना	59,585	7,869	12,981	11,105	10,116.2	16,000	97	23,000
प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना	1,24,013	3,057	3,978	5,868	18,290	19,000	40.5	19,000

स्रोत - 12वीं पंचवर्षीय योजना व विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों से सीधीजीए द्वारा संकलित

एमजीनरेगा एक मांग आधारित रोजगार सृजन कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2005-06 में आरंभ किया गया था। इसने हाल के वर्षों में प्रगति की है। वर्ष 2016-17 के एमजी नरेगा बजट अनुमान की तुलना इस वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान से करें तो 25 प्रतिशत की वृद्धि नजर आती है। पर यदि इस वर्ष के बजट अनुमान की तुलना पिछले वर्ष के एमजी नरेगा के संशोधित बजट से करें तो यह वृद्धि मात्र 1 प्रतिशत की रह जाती है। यह इस कारण हुआ क्योंकि पिछले वर्ष दो अतिरिक्त आवंटनों से एमजी नरेगा का बजट बढ़ कर 47500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यदि एमजी नरेगा के बजट को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वर्ष 2012-13 में यह 0.30 प्रतिशत था (वास्तविक खर्च) जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में यह मात्र 0.28 प्रतिशत है।

क्या कहते हैं आँकड़े?

इंदिरा आवास योजना को हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया है। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसका 60 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी व 40 प्रतिशत खर्च सामान्य श्रेणी के राज्य करेंगे। उत्तर-पूर्व व हिमालय क्षेत्र के राज्यों में 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार का रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन वर्ष 2016-17 में (संशोधित अनुमान) 16,000 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसे 23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

केन्द्रीय बजट 2017-18 का प्रस्तुतीकरण एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की ओर झुकाव लिए हुए बजट के रूप में किया गया था जो वर्ष 2019 तक कम से कम 50,000 ग्रामीण पंचायतों में गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन घोषणाओं के अनुरूप इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ग्रामीण विकास विभाग के बजट के आवंटन को बढ़ाया भी गया है। इसके बावजूद अभी इस क्षेत्र में बड़ी व महत्वपूर्ण कमियां हैं। हजारों ग्राम पंचायतों में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत प्रयास करने होंगे।

● ● ●

# कृषि

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों को उच्च प्राथमिकता दी, पर इस क्षेत्र के लिए हुए आवंटनों को गौर से देखने पर पता चलता है कि काफी हद तक पहले जैसी ही स्थिति है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय का आवंटन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 51,026 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2016-17 के बजट के संशोधित अनुमान से मात्र 3,053 करोड़ रुपए अधिक है। मंत्रालय के बजट को कुल केन्द्रीय बजट के प्रतिशत के रूप में देखा जाए या इसे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो दोनों आकलनों से यही पता चलता है कि पिछले वर्ष 2016-17 (संशोधित अनुमान) की तुलना में इसमें कमी ही आई है। किसानों की आय को दोगुनी करने के वायदे को फलीभूत करने के लिए समग्र रूपरेखा बजट में प्रस्तुत नहीं की गई है।

कृषि कल्याण उपकर (सेस) के द्वारा प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि का उपयोग बहुत असरदार ढंग से नहीं किया गया है। सरकार ने फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान कृषि कल्याण उपकर से कर दिया है। इसके लिए वर्ष 2016-17 (संशोधित अनुमान) के 13,240 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष (बजट अनुमान) 9,000 करोड़ ही आवंटित हुए हैं।

कुछ अन्य घोषणाएं बजट में हुई हैं। कृषि क्रेडिट लक्ष्य को 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक बढ़ाया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण क्रेडिट सोसाईटीज को निरंतरता से छोटे व सीमान्त किसानों की क्रेडिट उपलब्ध करवाना होगा, व जिन क्षेत्रों में अभी तक कम पहुंच रही है उन पर अधिक ध्यान देना होगा।

दीर्घकालीन सिंचाई कोष नबार्ड के साथ बनाया गया था ताकि सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो सके। इसके लिए वर्ष 2016-17 में 20,000 करोड़ रुपए का कारपस बनाया गया था। अब वर्ष 2017-18 के बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए और आवंटित हुए हैं।

इस बजट में घोषित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किए गए आवंटनों को ध्यान से देखा जाए तो यही पता चलता है कि किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सरकार पूरी तरह नहीं निभा रही है। बजट भाषण में किसानों के लिए किसी तरह के समर्थन मूल्य की चर्चा न होना (न्यूनतम समर्थन मूल्य को संशोधित करने के संदर्भ में) किसानों के लिए हानिकारक है। बीमा योजनाओं पर ही अत्यधिक महत्व देना भी कृषि क्षेत्र के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है।

## तालिका-9

### कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों पर आवंटन/खर्च (करोड़ रुपए में)

योजना	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	2,551	2,598	2,983	5,500	13,240	9,000
कुल आवंटन - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ●●	6,905	5,580	7,781	5,767	5,182	7,377
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7,053	8,443	3,940	5,400	3,550	4,750
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2,027	1,873	1,162	1,700	1,280	1,720

योजना	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
परंपरागत कृषि विकास योजना		0	219	297	120	350
आँयल सीड व आँयल पॉम का राष्ट्रीय मिशन	556	316	306	500	376	403
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1,809	1,625	1,696	1,620	1,660	2,320
श्वेत क्रांति	1,449	1,415	937	1,138	1,312	1,634
नीली क्रांति	348	388	200	247	392	401

चोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से सीधीजीए द्वारा संकलित

नोट:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम, परिवर्तित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (जो कृषि बीमा कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित है) व नारियल पाल्म बीमा स्कीम शामिल हैं।

सस यह प्रावधान कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग; भूमि संसाधन विभाग; जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हैं।



# पोषण व खाद्य सुरक्षा


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण (Rapid Survey on Children 2013-14) में भारत के 38.7 प्रतिशत पांच साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषित (उम्र से कम ऊँचाई) पाए गए। कम से कम 73 प्रतिशत प्रजनन उम्र की औरतों में खून की कमी पाई गयी। इन आकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुपोषण की समस्या बहुत गंभीर रूप से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सरकार पोषण के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखा रही है।

अगर हम पोषण से सम्बंधित 20 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का 2017-18 का बजट देखें तो कुल मिला कर ये जीडीपी का मात्र 1.8 प्रतिशत और केन्द्रीय बजट का 13.9 प्रतिशत है। केंद्र योजनायें जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पोषण पर पड़ता है और, जिन्हें पोषण के बजट में सम्मिलित किया गया है वह इस प्रकार हैं : आई.सी.डी.एस/आंगनवाड़ी सेवाएं; राष्ट्रीय क्रेच योजना; इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना; सबला; खाद्य सबसिडी; राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम; मध्याहन भोजन योजना; राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान; राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम; स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण + शहरी); एम.जी नरेगा; राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण + शहरी); राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन; राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एन.एम.एस.ए); राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑयल सीड व ऑयल पॉम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; श्वेत क्रांति; नीली क्रांति।

पोषण के पूरे बजट में से तकरीबन आधा बजट खाद्य सब्सिडी का है। पिछले सालों की तुलना में अगर देखें तो जी.डी.पी के प्रतिशत के रूप में पोषण के बजट में कमी आई है। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल पोषण का कुल बजट बढ़ा (9.2%) है, लेकिन ये बढ़ोतरी सिर्फ कुछ ही योजनाओं (जैसे की राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना) के कारण हुई है। केंद्र सरकार के कुल बजट के प्रतिशत के रूप में पोषण पर खर्च अभी भी बहुत कम है और पिछले कई सालों में ये कम होता नजर आया है।

वैज्ञानिक विश्लेषण से ये साबित किया गया है कि कुपोषण का सम्बन्ध बच्चे की मानसिक प्रगति, स्वास्थ्य, एवं भविष्य में होने वाली आय से है। अगर आने वाले समय में हम बढ़ती हुई आबादी का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि सरकार पोषण से सम्बंधित सभी कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश करे। इसके लिए सरकार को अपनी नीति में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छता, पेय जल, आदि का समावेश हो।

चित्र: पोषण से सम्बंधित कार्यक्रमों पर खर्च कुल बजट और जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में (%)



स्रोत - केंद्रीय बजट के दस्तावेजों (विभिन्न वर्षों) से सीबीजीए द्वारा संकलित

# अक्षय ऊर्जा

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को भारत ने 2016 अंगोकार (मंजूर) में किया। इसके लिए भारत ने जलवायु बदलाव के संदर्भ में आई.एन.डी.सी. के अन्तर्गत 'ग्रीनहाउस' गैस के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य निर्धारित किये। इस वर्ष इन सहयोगों के क्रियान्वयन के लिए योजनाएं बनाने की तैयारी होनी है। पर वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट ने जलवायु परिवर्तन से सबंधित कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाने हेतु कोई नई घोषणा नहीं की है। जिन मंत्रालयों में जलवायु परिवर्तन को कम करके या इससे अनुकूल मुख्य कार्यक्रम व स्कीमें बनी हैं उनके लिए इस बजट में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि भी नहीं की गई है।

कुल ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने से जलवायु परिवर्तन के संकट को कम करने में सहयोग मिलता है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के लिए वर्ष 2016-17 के बजट का संशोधित अनुमान 12301 करोड़ रुपए था। वर्ष 2017-18 का बजट मात्र 8244 करोड़ रुपए है। इसका अर्थ यह है कि 33 प्रतिशत की कटौती हुई है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में आंतरिक व बाहरी बजट संसाधन होते हैं व सकल बजट सहयोग भी होता है। यदि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान की तुलना वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान से करें तो इन दोनों हिस्सों में कमी आई है। इस मंत्रालय के लिए सकल बजट सहयोग में कई वर्षों से कमी आ रही है। वर्ष 2012-13 में 1089 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में यह राशि मात्र 50 करोड़ रुपए है।

यदि इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर आंतरिक आवंटन पर नजर डालें तो एक मिली-जुली तर्खीर सामने आती है। ग्रिड से जुड़ी हुई अक्षय ऊर्जा के लिए आवंटन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर अनुसंधान, विकास व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आवंटन वर्ष 2017-18 के लिए बजट वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में कम हुआ है। ग्रिड से अलग हुई, विकेन्द्रिकृत अक्षय ऊर्जा के लिए वर्ष 2017-18 के बजट में वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दो योजनाएं विशेष तौर पर जलवायु बदलाव से जुड़ी हैं। पहली योजना है जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष व दूसरी है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। पहली योजना वर्ष 2015 में आरंभ हुई। उस वर्ष के आवंटन की तुलना में 2017-18 के बजट में 15 प्रतिशत की गिरावट है। दूसरी योजना के लिए आवंटन यथावत रहा है।

बजट आवंटनों को यदि जलवायु परिवर्तन के नजरिए से विश्लेषित किया जाए तो इसमें पेरिस समझौते के क्रियान्वयन हेतु संसाधन जुटाने की तैयारी नजर नहीं आती है। सरकार को ऐसे ढांचागत व अन्य जरूरी निवेश करनी चाहिए जो अक्षय ऊर्जा एवं विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

## तालिका-10

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम के आवंटन (रुपए करोड़ में)

प्रमुख कार्यक्रम/ योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा	874	11,33	1,845	2,468	3,519	3,091	4,034
ग्रिड से हटकर विकेन्द्रिकृत अक्षय ऊर्जा	132	119	160	97	983	808	918

प्रमुख कार्यक्रम/ योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
अनुसंधान, विकास व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	100	137	127	106	445	273	144

● ● ●

# महिला कल्याण

अनेक सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से हमारे समाज की लिंग आधारित असमानता का पता चलता है। महिला के प्रति हिंसा भी देश में बढ़ रही है। स्पष्ट है कि इस विषमता और अन्याय को दूर करने के लिए सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इसे दूर करने के लिए जो नीतियां चाहिए उनमें बजट का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रम व नीतियां बनाने व कार्यान्वयित करने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है। इस मंत्रालय के महिलाओं संबंधी प्रमुख कार्यक्रमों के बजट आवंटन तालिका 11 में प्रस्तुत किए गए हैं।

## तालिका - 11

### महिला व बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
महिला व बाल विकास मंत्रालय के लिए कुल आवंटन	17,036	18,037	18,540	17,249	17,408	17,640	22,095
महिला व बाल विकास मंत्रालय का आवंटन कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	1.20	1.16	1.11	0.96	0.88	0.88	1.03
चुनी हुई योजनाओं का आवंटन							
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी सेवाएं	15,767.5	16,400.8	16,683.6	15,489.3	14,862.9	14,735.6	16,745.2
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	82.1	231.9	343.1	233.3	400.0	634.0	2700.0
किशोरी शक्ति योजना (सबला)	503.6	602.4	622.4	475.2	460.0	460.0	460.0
राष्ट्रीय क्रेच योजना	106.0	100.0	97.7	133.0	150.0	150.0	200.0
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ●	-	-	34.9	59.4	100.0	43.0	200.0
वन स्टोप सेंटर	0	0	0	10.4	75.0	75.0	90.0
महिला हेल्पलाईन	0	0	0	15.1	25.0	25.0	10.0
अन्य योजनाएं ●●	-	-	-	-	400.0	585.0	400.0
स्वाधार गृह	52.2	53.8	29.0	48.1	100.0	90.0	100.0

नोट- ● स्कीम वर्ष 2014-15 में आरंभ की गई

●● निर्भया कोष से पूर्ति

स्रोत - केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों (विभिन्न वर्षों) से सीधीजीए द्वारा संकलित

महिला व बाल विकास मंत्रालय का बजट वर्ष 2016-17 में 17408 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 के अनुमान में यह बढ़कर 22095 करोड़ रुपए हो गया है। पर इस मंत्रालय का अधिकांश आवंटन तो एकीकृत बाल विकास योजना के लिए है। बजट में 14 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में महिला शक्ति केन्द्र स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। किन्तु यह कहना जरूरी है कि इसके लिए जरूरी अतिरिक्त मानवीय संसाधनों की उपलब्धि भी करवानी होगी।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम को पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कहा जाता था। इसके आवंटन में इस वर्ष महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है - वर्ष 2016-17 के 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 2700 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है। इस बारे में भारत सरकार ने कुछ समय पहले अनुमान लगाया था कि इस स्कीम के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 7348 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और इसके अनुरूप आवंटन भी बढ़ाया गया है। पर खाद्य, उपभोक्ता मामलों व सार्वजनिक वितरण की स्थाई समिति (2012-13) ने अनुमान लगाया था कि कि 2.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ उपलब्ध करवाने के लिए प्रति वर्ष 14512 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसे केन्द्र व राज्य सरकारों को मिल कर वहन करना है। यदि इस अनुमान को स्वीकार किया जाए तो इस स्कीम का लाभ सब तक पहुंचाने के लिए बजट का आवंटन जरूरी राशि से काफी कम है।

संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए बनी स्कीमों जैसे स्वाधार गृह व वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं के आवंटन में मामूली वृद्धि हुई है। इन योजनाओं की पर्याप्त पहुंच व इनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए यह मामूली वृद्धि पर्याप्त नहीं है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना वर्ष 2015 में ऐसे 100 संवेदनशील जिलों में आरंभ की गई थी जहां बाल लिंग अनुपात सबसे कम था। वर्ष 2016-17 में इसमें 61 अतिरिक्त जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के लिए आवंटन वर्ष 2016-17 के बजट 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष 2017-18 के बजट में 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

जेंडर बजट स्टेटमेंट के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के बजट का कौन-सा हिस्सा महिलाओं व लड़कियों के लिए सुनिश्चित हुए हैं। इस स्टेटमेंट का प्रस्तुतीकरण वर्ष 2005-06 के बजट से आरंभ हुआ। यह स्टेटमेंट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है। भाग ए में उन योजनाओं व कार्यक्रमों को दर्शाया जाता है जो पूरी तरह महिलाओं व लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए हैं, जबकि भाग बी में उन योजनाओं की जानकारी होती है जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत वित्तीय संसाधन महिलाओं व लड़कियों को लाभान्वित करते हैं। वर्ष 2017-18 की इस स्टेटमेंट के भाग ए में कुल आवंटन 31391 करोड़ रुपए का है। यदि इसे केन्द्रीय बजट के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो पिछले वर्षों की अपेक्षा इसमें वृद्धि नजर आती है। इस स्टेटमेंट के भाग बी में दर्ज आवंटन वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 73213 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में यह बढ़ कर 81395 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय अभी इसके दायरे से बाहर हैं।

निर्भया कोष वर्ष 2013-14 के केन्द्रीय बजट से आरंभ किया गया। यह देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व राज्यों से इस संदर्भ में आए प्रस्तावों व परियोजनाओं का आकलन करती है व उनके बारे में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करती है। इस समिति को अधिकारियों की एम्पावर्ड समिति कहा गया है। जनवरी 2017 तक इस कोष के अंतर्गत इस समिति ने 2187 करोड़ रुपए के बजट के 16 प्रस्तावों का आकलन कर इनकी संस्तुति की। इस कोष का बेहतर उपयोग होना चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार को राज्यों को आवश्यक निर्देश एवं सहयोग देते रहना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए समग्र प्रयासों की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम हैं।



# बाल कल्याण

बाल-कल्याण से जुड़े प्रस्ताव बाल बजट स्टेटमैंट में प्रस्तुत होते हैं। यह वर्ष 2017-18 के बजट में स्टेटमैंट 12 में है जबकि पहले यह स्टेटमैंट 22 होता था। लगभग 16 केन्द्रीय मंत्रालय बाल-कल्याण संबंधी खर्च के लिए व्यवस्था करते हैं। बच्चों पर होने वाले खर्च का 88 प्रतिशत हिस्सा मानव संसाधन विकास मंत्रालय व महिला व बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त होता है। बच्चों के लिए कुल बजट वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 65,758 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में यह 71,305 करोड़ रुपए है। इस तरह इस बजट में 5547 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पर बच्चों से जुड़े हुए विशिष्ट प्रयासों के आवंटन का केन्द्रीय बजट में कुल हिस्सा पिछले 3 वर्षों से 3.3 प्रतिशत पर ही स्थिर बना हुआ है। यदि वर्ष 2012-13 के बजट के संशोधित अनुमान से तुलना करें तो इस प्रतिशत में कमी आई है।

बाल बजट स्टेटमैंट के विश्लेषण से पता चलता है कि बच्चों के लिए विभिन्न प्रयासों में सबसे अधिक आवंटन स्कूल शिक्षा के लिए होता है। इसके बाद विकास व स्वास्थ्य प्रयासों का स्थान है। शिक्षा व विकास कुल बाल बजट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ले लेते हैं पर क्रियान्वयन के स्तर पर वे विभिन्न समस्याओं से प्रभावित हैं। प्रशिक्षित व पर्याप्त प्रोफेशनल योग्यताओं वाले अध्यापकों के अभाव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षण व समुचित वेतन के अभाव से इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सेवाओं पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। वित्त मंत्री ने शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2014 के स्तर 39 से कम कर 2019 में 28 तक करने की कार्य योजना की घोषणा की है। पर इस लक्ष्य निर्धारण के अनुकूल बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए जितना आवंटन बढ़ाना चाहिए उतना आवंटन नहीं बढ़ा है। बाल स्वास्थ्य की स्कीमों का कुल बाल बजट में प्रतिशत देखें तो वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में यह 3.8 प्रतिशत है।

बच्चों के विरुद्ध अपराध हाल के वर्षों में बढ़ते रहे हैं। इस स्थिति में बच्चों की सुरक्षा (हिफाज़त) के प्रयासों को बढ़ाना जरूरी है। बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसे पहले के वर्षों में बजट में बहुत कम आवंटन मिला है। इसमें पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा इस वर्ष 2017-18 में 370 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

ग्लोबल न्यूट्रीशन रिपोर्ट 2015 के अनुसार विश्व के स्टॉटिड बच्चों में से 40 प्रतिशत बच्चे व 50 प्रतिशत वेर्सिड बच्चे (5 वर्ष से कम के आयु वर्ग में) भारत में रहते हैं। बच्चों के सामने कई कठिनाईयां व समस्याएं बढ़ रही हैं। अतः बच्चों के लिए जरूरी प्रयासों हेतु बजट का आवंटन अधिक बढ़ाने की जरूरत है। 'बच्चों के लिए' एकशन संबंधी राष्ट्रीय योजना की संस्तुति है कि केन्द्रीय बजट का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा बच्चों से जुड़ी स्कीमों के लिए होना चाहिए, पर इस तरह के सुधार के संकेत वर्ष 2017-18 के बजट में नहीं मिलते हैं। जब भी केन्द्रीय बजट में बच्चों के लिए अपर्याप्त आवंटन होता है तो यह बच्चों की भलाई के समग्र प्रयासों के लिए एक और अवसर खो देने जैसा प्रतीत होता है और इससे भविष्य की चुनौतियां और कठिन हो जाती हैं।



# अनुसूचित जाति कल्याण

पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं (11 वीं व 12 वीं) ने 'समावेशी संवृद्धि' पर जोर दिया, पर 12 वीं योजना के अंत होने पर भी अनुसूचित जातियों के विकास में महत्वपूर्ण कमियां रह गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने अनुसूचित जातियों की स्थिति सुधारने में केवल सीमित सफलता ही मिली है, जबकि इस संदर्भ में नई चिन्ताएं भी सामने आ रही हैं।

वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उप-योजना शुरू की गई जो अनेक कमियों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए प्रयासों को बढ़ाने की यह एक महत्वपूर्ण नीति रही है। पर वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में योजना व गैर-योजना खर्चों को मिलाने से सवाल उत्पन्न हुए हैं कि इस नीति को अब कैसे क्रियान्वित किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट की अनुसूचित जाति उप-योजना की रिपोर्टिंग पहले के बजटों से अलग है। उपयोजना की संरचना के स्थान पर 'अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन' का स्टेटमैंट दिया गया है। पहले यह स्टेटमैंट 21 में प्रस्तुत होता था, अब स्टेटमैंट 10 ए में है।

स्टेटमैंट 10 ए के आवंटन यानि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बजट वर्ष 2017-18 में 52393 करोड़ रुपए हैं, जबकि वर्ष 2016-17 के में यह 38833 करोड़ रुपए था।

सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग का आवंटन वर्ष 2017-18 में 6908 करोड़ रुपए है जबकि 2017-17 के संशोधित आकलन में यह 6569 करोड़ रुपए था। पिछले कुछ वर्षों की तुलना से पता चलता है कि वृद्धि मामूली रही है। इस विभाग में सामान्यतः उपलब्ध फंड का उपयोग अच्छा रहा है, पर मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना व मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना में उपलब्ध फंड का उपयोग एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस स्वरोजगार स्कीम का आवंटन इस वर्ष 2017-18 के बजट में भी मात्र 10 करोड़ रुपए ही रखा गया है। यह कम आवंटन इस स्कीम के महत्व को देखते हुए चिंता का विषय है। मैला ढोने की प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्ति के बाद तो इस स्कीम का महत्व बहुत बढ़ गया है।

## तालिका - 12

### सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत प्रमुख स्कीमों का बजट आवंटन द्वारा दर्शाया गया है।

मुख्य योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
अनुसूचित जाति की शैक्षणिक विकास योजना ●	2,649	2,816	2,670	3,046	3,647	3,615	3,863
प्रधानमंत्री/आदर्श ग्राम योजना	0	0	30	196	90	50	40
सिविल अधिकार अधिनियम 1995 एवं अत्याचार विरोधी अधिनियम 1989 कार्यान्वयन सशक्तिकरण	97	128	147	119	150	228	300
मैला ढोने वालों के पुनर्वास की स्वरोजगार स्कीम	20	35	0	0	10	1	5

मुख्य योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	872	790	700	800	800	800	800
अनुसूचित जाति उद्यम विकास प्रयास ●●	0	0	662	170	255	249	243
अन्य योजनाएं ●●●	41	57	117	163	187	188	196

- अनुसूचित जाति की शैक्षणिक विकास योजना में जोड़ी गई योजनाएं - विभिन्न अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाएं एवं गंदगी हटाने जैसे व्यवसायों से जुड़े अनुसूचित जाति के बच्चों की योजनाएं एवं अनुसूचित जाति के लड़कों तथा लड़कियों के छात्रावास
- अनुसूचित जाति उद्यम विकास प्रयास में जोड़ी गई योजनाएं - राजकीय अनुसूचित जाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जातियों के लिए वैचर केपीटल एंड क्रैडिट गारंटी फंड, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश
- अन्य योजनाओं में समिलित हैं - बाबा साहब डा. बी.आर. अम्बेडकर संरथान, डा. बी.आर. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, अनुसूचित जातियों के विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों को सहायता, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

स्रोत : सी.बी.जी.ए. द्वारा संकलित, केन्द्रीय बजट दस्तावेज, व्यय बजट, विभिन्न वर्ष

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत सामाजिक विषमता झेल रहे समुदायों व विशेषकर अनुसूचित जातियों को बैंकों द्वारा ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 बजट अनुमान में 1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 2.44 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में अनुसूचित जातियों के लिए प्रोत्साहित करने वाली तस्वीर नहीं उभरती है। संशोधित अनुसूचित जाति उप-योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों के आवंटन को प्राथमिकता देना व बढ़ाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रमुख विभाग - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण विभाग के आवंटन को बढ़ाना भी जरूरी है।



# अनुसूचित जन-जाति कल्याण

अनुसूचित जन-जातियां हमारे समाज के सबसे वंचित तबकों में हैं। विकास के अनेक संकेतकों में वे काफी पीछे हैं। उनके विकास के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। आदिवासी उप-योजना इनमें से एक है। इस उप-योजना का आधार यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या में प्रतिशत (8.6 प्रतिशत) के अनुपात में उनके लिए राशि का आवंटन किया जाए। इस नीति के अन्तर्गत केवल योजना आवंटन लिए जाते हैं। अतः वर्ष 2017-18 के बजट में योजना व गैर-योजना खर्चों को मिलाने से यह सवाल उत्पन्न होता है अब आवंटन किस तरह किया जाएगा।

केन्द्रीय बजट 2017-18 में इसका प्रस्तुतीकरण कुछ अलग ढंग से किया गया है। इस बजट से पहले यह स्टेटमैंट 21 ए में आदिवासी उप-योजना के शीर्षक के अंतर्गत होता था। इस वर्ष यह अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण के लिए आवंटन शीर्षक से स्टेटमैंट 10 बी में है। साथ में आवंटन को राजस्व व पूँजी खर्च में बांटा गया है। आदिवासी उप योजना के किसी संदर्भ के अभाव में स्टेटमैंट 10 बी के अन्तर्गत दिए गए आवंटन के आकलन में अनिश्चय की स्थिति बनी है। केन्द्रीय बजट 2017-18 के बजट में नीति आयोग को स्टेटमैंट 10 बी के अन्तर्गत रखी गई स्कीमों के परिणाम आधारित मूल्यांकन की भूमिका दी गई है। पर सरकार के सरकुलर (एफ. नं. 15011/02/2016-टी एस पी) के अन्तर्गत आदिवासी उप-योजना की निगरानी का कार्य आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सौंपा गया था - न केवल वित्तीय आवंटन व उपयोग अपितु परिणामों के भी मूल्यांकन का कार्य। अतः नीति आयोग व मंत्रालय की इस संदर्भ में जिम्मेदारी स्पष्ट की जानी चाहिए।

आदिवासी मामलों के मंत्रालय के लिए वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में आवंटन 4827 करोड़ रुपए था। इसे 2017-18 के बजट अनुमान में बढ़ाकर 5329 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 से इस मंत्रालय के बजट में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। यह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के आवंटन में भी दिखाई देता है।

## तालिका - 13

आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मुख्य स्कीमों के लिए बजट प्रावधान (रुपए करोड़ में)

मुख्य योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय कमीशन	...	...	...	6.3	8.5	9.0	10.0
आदिवासी उप योजना एस.सी.ए.के	853	1,050	1,040	1,132	1,250	1,200	1,350
संविधन के आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत योजना	820	1,097	1,133	1,392	1,400	1,260	1,500
अनुसूचित जनजाति विकास की अम्बेला योजना वनवंधु कल्याण योजना	-	112	100	629	505	472	505

क्या कहते हैं आँकड़े?

मुख्य योजनाएं	2012-13 वार्षिक	2013-14 वार्षिक	2014-15 वार्षिक	2015-16 वार्षिक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 सं.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा की अम्बेला योजना	981	1,213	1,059	1,221	1,505	1,740	1,756

नोट- अनुसूचित बच्चों के लिए अम्बेला स्कीम जिसमें उच्च शिक्षा के लिए व विदेश में शिक्षा के लिए अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलेशिप व छात्रवृत्ति शामिल है।

स्रोत - विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों से सीधीजीए द्वारा संकलित

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत विभिन्न वंचित समुदायों के साथ अनुसूचित जन-जातियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) में 1.22 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की व्यवस्था थी। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2.44 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति उप-योजना की तरह आदिवासी उप-योजना के लिए भी फंड अलग रखने के बारे में अनिश्चय है। जहां स्टेटमेंट 10 बी के अंतर्गत बजट बढ़ गए हैं पर इससे यह जाहिर नहीं होता है कि आदिवासी उप-योजना के प्रति विभिन्न मंत्रालयों का दृष्टिकोण बदल गया है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय के लिए किए गए आवंटन में भी स्थिरता है व हाल के वर्षों में बहुत मामूली सी ही वृद्धि है। जरूरत केवल यहीं नहीं है कि वर्तमान आवंटन बने रहे बल्कि जरूरत है कि अनुसूचित जनजातियों के बहुपक्षीय विकास के लिए अधिक व पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

● ● ●

# अल्पसंख्यक कल्याण

भारतीय संविधान सभी नागरिकों की समानता के लिए प्रतिबद्ध है व धर्म आधारित भेदभाव पर रोक लगाता है। सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) ने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, आर्थिक विकास व मूल सुविधाओं तक पहुंच बनाने की क्षमता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। सार्वजनिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य प्रयासों जैसे राष्ट्रीय डेटा बैंक, समान अवसर आयोग, विविधता सूचकांक बनाने आदि प्रयासों की संस्तुति भी हुई है। पर इनके वास्तविक क्रियान्वयन में अभी प्रगति नहीं हुई है।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इस समय शैक्षिक सशक्तिकरण, कौशल व आजीविका प्रोत्साहन, अल्पसंख्यकों के विशेष कार्यक्रमों व क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। 12 वीं योजना में इस मंत्रालय के लिए प्रस्तावित आवंटन लगभग 17000 करोड़ रुपए था जिनमें 15771 करोड़ रुपए मंत्रालय द्वारा रिलीज किए गए। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में इस मंत्रालय के लिए आवंटन 3827 करोड़ रुपए था। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसे 9 प्रतिशत बढ़ाकर 4195 करोड़ रुपए दिया गया है। इस मंत्रालय का बजट कुल केन्द्रीय बजट का 0.20 प्रतिशत हिस्सा है जबकि अल्पसंख्यकों का जनसंख्या में हिस्सा 19 प्रतिशत है। इस मंत्रालय में आवंटित संसाधनों का उपयोग बेहतर हो रहा है। वर्ष 2012-13 में यह 68.9 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2015-16 में यह 97.8 प्रतिशत था।

विभिन्न योजनाओं के आवंटनों के विश्लेषण के से पता चलता है कि मल्टी सैक्टोरल विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.), निशुल्क कोचिंग व मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्ति - ऐसी तीन योजनाएं हैं जिनका आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में बढ़ा है। इन स्कीमों के आवंटन में वृद्धि मासूली ही है।

तालिका - 14

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अन्तर्गत स्कीमों के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

योजनाएं	12 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित आवंटन	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 स.अनुमान	12 वीं पंचवर्षीय योजना का आवंटन (%)	2017-18 बजट अनुमान
मौलाना आजाद फाऊंडेशन	500	0	160	113	113	114	100	113
मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	1,580	181	259.9	381.3	315	395	97	393.5
फ्री कोचिंग	120	14	23.6	31.3	44.8	40	128	48
प्री मैट्रिक स्कालशिप	5,000	786	962.9	1128.8	1015.7	931	96	950
पोर्ट मैट्रिक स्कालशिप	2,850	326.4	515.6	501.3	552.8	550	86	550
मौलाना आजाद फैलोशिप	430	66	50	0.12	55.5	120	68	100

योजनाएं	12 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित आवंटन	2012-13 वार्स्टविक	2013-14 वार्स्टविक	2014-15 वार्स्टविक	2015-16 वार्स्टविक	2016-17 स.अनुमान	12 वीं पंचवर्षीय योजना का आवंटन (%)	2017-18 बजट अनुमान
एन.एम.डी.एफ.सी.	600	85	0	30	120	140	63	170
एम.एस.डी.पी.	5,650	641.2	953.4	768.2	1,120.7	1,059	80	1,200

नोट - एन.एम.डी.एफ.सी. का अर्थ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त आयोग

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय सरकार के बजट दस्तावेजों से सीबीजीए द्वारा संकलित।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अन्य छात्रवृत्तियों (पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्रतिभा व आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति, निशुल्क कोचिंग) के आवंटन में में वृद्धि हुई। यदि मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्ति मुस्लिम जनसंख्या में शीर्ष आय वाले 20 प्रतिशत लोगों को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को कक्षा 10 तक दी जाए तो इस पर एक वर्ष में 2493 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्ष 2017-18 में इसके लिए बजट अनुमान 950 करोड़ रुपए का रखा गया है।

अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा के विकास में जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में नई रोशनी कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन है। कौशल विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन, नई मंजिल कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ रुपए व उस्ताद कार्यक्रम के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

सच्चर समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के दस वर्ष बाद भी मुस्लिम समुदायों के सामने खड़ी कठिनाईयों की स्थिति समग्र रूप से पहले जैसी ही है। विकास के लाभ उन तक नहीं पहुंचे हैं। छात्रवृत्तियों व एम.एस.डी.पी. के कार्यक्रमों के मूल्यांकन से इनसे जुड़ी कई कमियों का पता चला है जैसे अपर्याप्त बजट, अनुपयुक्त नीति डिजाइन व अपर्याप्त क्रियान्वयन। इस कारण मुस्लिम समुदाय तक इनके समुचित लाभ नहीं पहुंच रहे हैं।



# सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय सैम्पत्ति सर्वे संगठन के 68 वें सर्वेक्षण (2012) के अनुसार देश में 44 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद में 52 प्रतिशत का योगदान है। जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को अभी तक पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, मातृत्व लाभ, बीमा कवरेज जैसी मुख्य सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है जबकि संगठित क्षेत्र में प्रायः सामाजिक सुरक्षा काफी हद तक उपलब्ध है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास तालिका 11 में दिखाए गए हैं।

तालिका - 15

मुख्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए केन्द्रीय बजट के आवंटन (करोड़ रुपए में)

मंत्रालय	योजनाएं	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 बजट अनुमान	2016-17 स.अनुमान	2017-18 बजट अनुमान
मजदूर एवं रोजगार	असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म एवं आधारीकृत परिचय नं.	...	...	...	45.3	144.5	0.5	100.0
	असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा	1,001.7	887.6	550.7	...	...	...	...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा स्कीम	...	...	...	...	1500.0	723.8	1000.0
ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	7,824.8	9,046.0	7,086.7	8,616.4	9,500.0	9,500.0	9,500.0
वित्त	स्वावलंबन योजना	104.4	152.9	195.0	250.6	209.0	...	50.0
	आम आदमी बीमा योजना को सरकारी सहायता	...	4.5	175.0	437.5	450.0	100.0	350.0
	अटल पेंशन योजना	...	...	...	173.0	200.0	40.0	155.0
	भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्याज सबसिडी	99.5	115.8	111.2	101.8	171.9	136.6	250.0
	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार एवं जागरण)	...	...	...	...	50.0	5.0	20.0
कुल योग		9,030.4	10,206.8	8,118.6	9,624.7	12,225.4	10,505.9	11,425.0

नोट - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पहले श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत थी। इसे बाद में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में शिफ्ट किया गया। इसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किया गया। वर्ष 2017-18 में इसका फिर नया नामकरण नैशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के रूप में किया गया है।

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों से सीधीजीए द्वारा संकलित।

अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को पहचान पत्र देने की एक मुख्य मांग रही है। वर्ष 2015-16 में इसके लिए 144.5 करोड़ रुप का आवंटन हुआ। पर कार्य आगे नहीं बढ़ सका व लगभग यह पूरी की पूरी धनराशि बिना खर्च हुए रह गई। वर्ष 2017-18 के बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर यह अनौपचारिक क्षेत्र के 44 करोड़ मजदूरों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि एक कार्ड बनने पर 20 रुपए ही खर्च हों तो भी इसके लिए 880 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। यह पेंशन के रूप में सामाजिक सहायता देने का मुख्य कार्यक्रम है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए आवंटन 9500 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान से तुलना करें तो वर्ष 2017-18 के बजट-अनुमान में सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र का कुल बजट कम हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का नया नाम नेशनल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम रखा गया है। इसका आवंटन 2016-17 के बजट अनुमान में 1500 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 में यह 1000 करोड़ रुपए है। आम आदमी बीमा योजना के लिए वर्ष 2016-17 में 450 करोड़ रुपए का आवंटन था जबकि वर्ष 2017-18 में इसके लिए मात्र 350 करोड़ रुपए का आवंटन है। अटल पेंशन योजना के लिए वर्ष 2016-17 में 200 करोड़ रुपए का आवंटन था जबकि वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए मात्र 155 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन की राशि को तत्काल बढ़ाने की व भविष्य में महंगाई के साथ इसकी स्वतः वृद्धि को जोड़ने की तत्काल जरूरत है। विभिन्न जन-संगठन यह मांग उठाते रहे कि इस पेंशन की राशि न्यूनतम मजदूरी के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए यानि इस समय यह 85 रुपए प्रतिदिन या 2550 रुपए प्रतिमाह होनी चाहिए। इस मांग को सभी वृद्धों के लिए क्रियान्वित करने के लिए एक वर्ष में 3.2 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की जरूरत होगी जिसे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आपसी समझौते से साझा किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाना बहुत जरूरी है। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के बजट को इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट पर ही स्थिर रखा है। यदि महंगाई के असर को ध्यान में रखा जाए तो इस आवंटन में वास्तव में तो गिरावट आई है। उसके साथ यदि नैशनल हैल्थ प्रोटेक्शन, अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना व स्वालंबन स्कीम के बजट में आई कमी को देखा जाए तो इससे पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा का विषय मौजूदा नीति निर्धारकों की प्राथमिकता से हट रहे हैं।



# शहरी गरीब

विशेषज्ञ ग्रुप (रंगराजन समिति, 2014) के निर्धनता अनुमानों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 10.3 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 1.37 करोड़ परिवार (कुल शहरी परिवारों में से 17.4 प्रतिशत परिवार) स्लम बस्तियों में रहते हैं। वर्ष 2030 तक भारत के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। उनके लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, सुरक्षित पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती होगी।

वर्ष 2015-16 में आवास व शहरी निर्धनता मंत्रालय के लिए बजट का आवंटन 5635 करोड़ रुपए था पर उसका वास्तविक खर्च मात्र 1761 करोड़ रुपए था। वर्ष 2017-18 के इस मंत्रालय के आवंटन की तुलना वर्ष 2016-17 के आवंटन से करें तो इसमें 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नया हिस्सा जोड़ने के कारण हुई है। यह है मध्यम आय ग्रुप के लिए क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी रकीम। अन्य प्रयासों के लिए आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन पर लगभग स्थिर है।

इस मंत्रालय की मुख्य प्राथमिकता शहरी निर्धन वर्ग के लिए आवास पर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मुख्य योजना रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रगति अधिक नहीं हुई है क्योंकि शहरी निर्धन वर्ग के आवास व आजीविका दोनों कार्यक्रमों के वास्तविक खर्च में वर्ष 2012-13 और 2015-16 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति नजर आई है।

आवास के अतिरिक्त शहरी विकास के लिए ढांचागत व्यवस्था करना शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। शहरी विकास के लिए आवंटन व खर्च में 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौर में निरंतरता से वृद्धि हुई है। इसकी हाल में वृद्धि बहुत हद तक मेट्रो रेल परियोजनाओं से जुड़ी है जो अब इस मंत्रालय का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा लेने लगी है। इस मंत्रालय के 34212 करोड़ रुपए के बजट में से 18000 करोड़ रुपए एम.आर.टी.एस. व मैट्रो प्रोजेक्टों के लिए ही समर्पित हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन की आंरभ में बहुत चर्चा रही पर वास्तविक प्रगति कम नजर आती है। वर्ष 2016-17 में इस मिशन के लिए बजट अनुमान 3216 करोड़ रुपए था। इसे वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यदि तुलना वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से की जाए तो गिरावट आई है क्योंकि वर्ष 2016-17 का संशोधित अनुमान 4676 करोड़ रुपए का था।

शहरी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जबकि शहरी निर्धन वर्ग को मूल सुविधाएं देने में प्रगति धीमी रही है। वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का बजट अनुमान 950 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसे कम कर मात्र 752 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 2300 करोड़ रुपए पर ही स्थिर है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक और निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया जाएगा तो धनी व निर्धन में असमानता बढ़ेगी तथा शहरी विकास समावेशी व टिकाऊ नहीं होगा।




# विकलांग कल्याण

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के विभाग का बजट वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 784 करोड़ था जबकि वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में यह बढ़ कर 855 करोड़ रुपए हो गया, यानि 71 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए बजट 306 करोड़ से बढ़कर 352 करोड़ रुपए हो गया, जबकि स्वायत्त संस्थानों के बजट में बहुत मामूली सी वृद्धि हुई 231 करोड़ रुपए से बढ़कर 239 करोड़। स्वायत्त संस्थानों में राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सबसे अधिक 190 करोड़ रुपए का आवंटन है।

नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ युनिवर्सल डिजाइन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसे वर्ष 2017-18 में 37 लाख रुपए का आवंटन हुआ। भारतीय साईन भाषा इंस्टीच्यूट के लिए आवंटन को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है - विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों को सहायता के लिए उपकरणों की खरीद व फिटिंग का कार्यक्रम। इसमें वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 20 करोड़ रुपए की कमी आई है। आर्टीफिशियल लिम्बस मेनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए आवंटन पिछले तीन वर्ष से 5 करोड़ रुपए पर रिस्थिर है। यह सहायता के उपकरण बनाता है जो विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों की सक्रियता, सचलता और आत्म-निर्भरता बढ़ाने तथा उनके प्रति भेदभाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चित्र - विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों की भलाई के कल्याण से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम(करोड़ रुपए में बजट)



स्रोत - केन्द्रीय बजट 2017-18 से ईकवल्स द्वारा संकलित।

साक्षरता व स्कूल शिक्षा का विभाग विकलांग व्यक्तियों को सर्वशिक्षा अभियान के समावेशी शिक्षा के घटक में व माध्यमिक चरण में विकलांगता प्रभावितों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करता है। यह दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। इन कार्यक्रमों के लिए अलग से आवंटन के आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

उच्च शिक्षा विभाग सैन्ट्रल सैक्टर कार्यक्रम 'विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के उच्च शिक्षा में समावेश हेतु राष्ट्रीय पहल' को कार्यान्वित करता है। इस कार्यक्रम के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 2 करोड़ रुपए पर स्थिर है। यूजीसी द्वारा क्रियान्वित अन्य कार्यक्रमों जैसे हेपसेन व ट्राइपसेन के विश्लेषण हेतु विस्तृत जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की समिति (सी.आर.पी.डी.) के अनुच्छेद 31 व टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 17 वें लक्ष्य के अनुसार विकलांगता पर आंकड़े अलग से उपलब्ध होने चाहिए। इसे भारत स्वीकार कर चुका है। विभिन्न क्षेत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े कार्यक्रमों में जब विभिन्न छोटी स्कीमें सम्मिलित होती रहती हैं तो उनके अलग से आंकड़े सीमित तौर पर ही प्राप्त हो सके हैं। इस कारण असरदार मूल्यांकन, जिम्मेदारी निर्धारित करने व समुचित नियोजन में कठिनाई आती है। अतः विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों पर वित्तीय आंकड़ों को अलग से उपलब्ध करवाना चाहिए। जिस तरह जेंडर आधारित स्टेटमैंट बजट में दी जाती है, उसी तरह विकलांगता पर भी बजट स्टेटमैंट प्रस्तुत होनी चाहिए।



(यह अध्याय ईकवल्स - सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ सोशल जरिस्टस, चेन्नई द्वारा तैयार किया गया है)

## सी.बी.जी.ए. के बारे में

सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस एकाऊंटेबिलिटी (सी.बी.जी.ए.) नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र संस्थान है जो भारत में सरकारी नीतियों व बजटों का विश्लेषण करता है तथा अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही व बजट में भागीदारी को बढ़ाने की पैरवी करता है।

## सी.बी.जी.ए. टीम

अमर चंचल, असदुल्लाह, भुवन चन्द नैलवाल, चंद्रिका सिंह, गौरव गोधवानी, गौरव सिंह, हैप्पी पंत, हर्ष सिंह रावत, जावेद आलम खाँ, ज्योत्सना गोयल, कनिका कॉल, ख्वाजा मुबीन उर रहमान, मालिनी चक्रवर्ती, नीति बियानी, नीलाचल आचार्य, प्रियंका सामी, प्रतिभा कुण्डु, राजलक्ष्मी नायर, राजकुमार, ऋचा चिन्तन, साक्षी राय, सौम्या श्रीवास्तव, शुचिता रावल, सीमांती चक्रवर्ती, सोना मित्रा, श्रीधर कुण्डु, सुब्रत दास, सुमिता गुप्ता, सूरज जायसवाल, सुराजिता राउत, षाजी टी के, तृष्णा अग्रवाला।

## हिन्दी सार संकलन

भारत डोगरा एवं रामगति सिंह

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें -

सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस एकाऊंटेबिलिटी

(सी.बी.जी.ए.)

बी-7, एक्सटेंशन/110 ए (ग्राउंड फ्लोर) हरसुख मार्ग,

सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110 029

टेलीफोन - (11) 4920 0400 / 401 / 402

ई मेल - [info@cbgaindia.org](mailto:info@cbgaindia.org)

वेब साइट - [www.cbgaindia.org](http://www.cbgaindia.org)

फोलो सी.बी.जी.ए. फेसबुक - CBGAIIndia

फोलो सी.बी.जी.ए. ट्वीटर - CBGAIIndia



**CBGA**